



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-659

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 321215 दिनांक 27/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kailashi Devi Meena W/o Hari Narayan Meena	श्रीमती नेहा गुप्ता पत्नि श्री आर.के. गुप्ता	156	200.00 SQ. YARD	Private	BANK COLONY	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना बेक कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 156 क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 26.08.2008 को श्रीमती नेहा गुप्ता पत्नि श्री आर.के. गुप्ता के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.11.2017 को श्रीमती नेहा गुप्ता पत्नि श्री आर.के. गुप्ता के द्वारा श्री सुखराम मीणा पुत्र श्री मान्याराम मीणा के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.07.2020 को



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्रीमती कैलाशी देवी मीणा पत्नि श्री हरिनारायण मीणा के पक्ष में कर दिया गया। उक्त भूखण्ड में एक से अधिक बैचान होने के कारण सर्वप्रथम सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना अपक्षित होगा। आवेदिका द्वारा नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kailashi Devi Meena W/o Hari Narayan Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।